राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग

क्रमांकः प0 60(1)सी.वी.सी./2003 जयपुर, दिनांक 24 FEB 2011

परिपत्र

विषयः– अभियोजन स्वीकृति दिये जाने के संबंध में ।

प्रायः यह देखने में आया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति दिये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प0 2(157)कार्मिक/क–3/97 दिनांक 30.05.2001 तथा 06.04.2002 में निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं की जाती है। विशेष तौर पर अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों में मनाही की स्थिति में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक हैः–

1– सक्षम अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं देने की स्थिति में मनाही के स्पष्ट कारणों का उल्लेख करना चाहिये। इस प्रकार के आदेश (स्पीकिंग आर्डर) होना आवश्यक है। राजस्थान उच्च न्यायालय के P.N. Yogi vs State pf Rajasthan and others (1999 CRI LJ 1736) में भी इस सिद्धान्त को दोहराया गया है ।

2– राजस्थान सरकार के परिपत्र में भी यह स्पष्ट किया गया है कि अभियोजन स्वीकृति आदेश में मनाही की स्थिति से सक्षम अधिकारी द्वारा अपना निर्णय विभाग के विभागाध्यक्ष को भेजा जाना चाहिये। यदि विभाग सक्षम अधिकारी से सहमत है तो उक्त मामले को मुख्य सतर्कता आयुक्त के पास राय के लिये भेजा जाना आवश्यक है। मुख्य सतर्कता आयुक्त की राय को मध्येनजर रखते हुये अन्तिम निर्णय लिया जाना चाहिये ।

3– उच्च न्यायालय ने विनित नारायण बनाम भारत संघ (ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 889) में अभियोजन स्वीकृति के हर मामलें में अधिकतम 3 माह का समय निर्धारित किया है । यदि कोई भी सक्षम अधिकारी निर्धारित समय से अधिक समय लेता है तो अधिक समय लगने के स्पष्ट कारण अपनी अभियोजन स्वीकृति के आदेश में अंकित करना आवश्यक है।

(प्रदीप दैब)
अति.मुख्य सचिव,गृह
पदेन मुख्य सतर्कता आयुक्त